न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 06/2026 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये अशोक कुमार यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. संदीप कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार मैसर्स– राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार सरेरी चौराहा तह–हुरडा जिला भीलवाडा
– प्रार्थी		**—विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 58

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 23.04.2026

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी के साकीन पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् लाल मिर्च पाउडर का विक्रय कर रहा था। निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर 15 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर खुले कट्टो में रखी था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार लाल मिर्च पाउडर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना लूज होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।आवेदन के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, अधिकृत होने का पदस्थापन आदेश, फार्म–5ए प्रति, रसीद नमूना प्रति, मौका फर्द,लेब रिपोर्ट मय दस्तावेज प्रति प्रस्तुत किए।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2025 को समय 4.00 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु विपक्षी के साकीन पर पहुंच कर विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से था एवं आम जनता के उपयोग हेतु लाल मिर्च पाउडर(खुला) विक्रय कर रहा था। विकेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य **लाईसेंस** मांगा गया। **लाईसेंस** निरीक्षकणकर्ता को **प्रस्तुत किया गया।**

मौके पर गवाह व विकेता की उपस्थिति में **360/–रू.** नगद देकर 2 किलो लाल मिर्च पाउडर वास्ते जांच खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने 4 लेबल तैयार किये गये। जिस पर नमूना कोड व सीरियल नम्बर **एक्स – 2798** नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए उक्त लेबल तैयार कर गोंद से

23.4.26

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. **एल.एस./1685/एक्ट/2025/1705 दिनांक 19.11.2025** के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण contravention regulation No. 2.3.14(15) because it is sold in loose condition होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा लूज खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज कर, विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना लाल मिर्च पाउडर loose condition होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने लाल मिर्च पाउडर contravention regulation No. 2.3.14(15) because it is sold in loose condition होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

दौराने बहस विपक्षी ने प्रथम गलती होते हुए क्षमा प्रार्थना की गई। भविष्य में उक्त कृत्य नहीं किया जाने का आश्वासन इस न्यायालय को दिया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण contravention regulation No. 2.3.14(15) because it is sold in loose condition होना पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना loose condition पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी loose condition लाल मिर्च पाउडर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

23.4.26
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की **धारा 58** के अन्तर्गत **10,000/रूपये (अक्षरे दस हजार रूपए)** शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि ई–ग्रास पोर्टल पर जरिये ई–चालान में Office Name:- Chief Medical & Health Officer, Bhilwara का चयन कर उक्त शास्ति राशि मद 0210–04–800–03–00 में जमा करा, चालान की एक प्रतिलिपि पेश करें।

निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.4.26

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि संबंधित मद में जमा करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2 संदीप कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार मैसर्स राजेन्द्र कुमार कुलदीप कुमार, सरेरी चौराहा तहसील हुरडा को शास्ति जरिए ई–चालान उपरोक्त मद में जमा कराने हेतु पालनार्थ।

23.4.26

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा